

02/4/25

पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु तलब हुई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बेचान करने पर आमदा है तथा वादग्रस्त आराजी को लेकर मौके पर विवाद की स्थिति है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया जावे।

वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिसके आधार पर प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है अतः वादग्रस्त आराजी तहसील चौहटन के मौजा राणातली (भोजारिया) के खसरा सं. 489 रकबा 00.0809 हैक्टर, खसरा सं. 490 रकबा 12.2053 हैक्टर, खसरा सं. 493 रकबा 14.0830 हैक्टर भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा तावाद कन्फर्म की जाती है, पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन

